167

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 20रु.
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 10रु.

विलोपित

R- 2002-II/16

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर(म0प्र0)

श्री दिलीप गोस्वामी एड. द्वारा आज दि. 23-6-16 प्रस्तुत
23-6-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1.रमेश पिता मठोले अहिरवार
2.सोहन पिता मठोले अहिरवार
3.राधाबाई पुत्री मठोले अहिरवार
तीनों निवासी हाऊसिंग बोर्ड सिंधी कालोनी बीना
4.राकेश पिता किशन अहिरवार
5.चंदाबाई पुत्री किशन अहिरवार
6.बैनीबाई वेबा किशन अहिरवार
सभी 4से6तक के निवासी जगजीवनराम वार्ड
खुरई जिला- सागर(म0प्र0) ....आवेदकगण

//बनाम//

म0प्र0शासन
द्वारा-कलेक्टर,सागर(म0प्र0) ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला सागर के प्र0क्र01623-बी/121/2015-16 दिनाँक 25.04.2016 में किये गये आदेशित से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदकगण के अजा स्व0खिम्मा पिता दमरू अहिरवार को म0प्र0शासन द्वारा ग्राम परसोरा प0ह0नं024 तह0खुरई जिला सागर में वर्तमान् ख0नं0171/3एवं171/4 की कुल भूमि 5.80एडक वर्ष 1960-61 में पट्टे पर प्रदान की गयी थी जिसकी मृत्यु उपरांत आवेदकगणों के पिताओं को बराबर-बराबर भूमि वारिशान नामांतरण में प्राप्त हुयी एवं पृथक-पृथक हिस्सा होकर पृथक-पृथक बटवारा कब्जे अनुसार पूर्व में हो गया था। आवेदकगण के पिता मठोले एवं किशन की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि आवेदकगणों के नाम वारिशान नामांतरण में दर्ज हुयी, जिसका ख0नं0171/3 रकवा 0.54हे0 एवं ख0नं0171/4 रकवा 0.54हे0 कुल 1.08हे0 में से 2 एकड़ भूमि के विक्रय हेतु आवेदन

R. 2002 ब/16 (सामा)

३१.८.16

प्रकरण का अवलोकन किया
प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण
किया, उपरांत पाया
गया। परीक्षण में वर्तमान में
जांच है premature है
प्रकरण निराकरण स्तर पर लंबित
तथा अन्य स्तर पर पश्चात पुनः
प्रस्तुत किया जाता
है।

[illegible]
अध्यक्ष

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.